(1)

अतिमहत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-469/नौ-9-2009-1 नियम/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

नगर आयुक्त,
नगर निगम, कानपुर

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 02 मार्च, 2009

विषयः-नगर निगम, कानपुर में गृहकर का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में श्री अनिल शुक्ला वारसी, मा० सांसद के नगर निगम, कानपुर में सरल कर के विषय में शासन स्तर से नये सिरे से नीति निर्धारित होने तक सरल कर वसूली स्थगित करने विषयक उनके पत्र दिनांक 13.2.2009, 23.2.2009 के सन्दर्भ में नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर के पत्र दिनांक 14.2.2009, 21.2.2009 एवं फैक्स दिनांक 25.2.2009 पर शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोंपरान्त नगर निगम, कानपुर द्वारा गृहकर पुनरीक्षण की कार्यवाही पर विस्तृत आख्या प्राप्त होने तक उसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा कर पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

आज प्राप्त. 04/03/09.
04/03/09 ML

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

AMC II

कृ विस्तृत आख्या तैयार कराकर दि० 07/03/09 तक प्रस्तुत करें।
05/03 ML.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2- जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

GOVS(SPM)